

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 49/2004 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. पीताम्बर पुत्र पारुमल उर्फ प्यारेलाल जाति पु0 ब्राहमण निवासी  
खैरथल (फौत)

1/1. श्रीमती मीरा पत्नि पिताम्बर

1/2. लजपत पुत्र पिताम्बर

1/3. देवकीनन्दन पुत्र पिताम्बर

1/4. मनोज कुमार पुत्र पिताम्बर

1/5. भूपेश पुत्र पिताम्बर

1/6. हेमलता पुत्री पिताम्बर

1/7. पुष्पा पुत्री पिताम्बर

1/8. लता पुत्री पिताम्बर

1/9. बिन्दू पुत्री पिताम्बर जाति पुष्कराना ब्राहमण निवासी खैरथल तह0

किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान


2. बंशी पुत्र पारुमल उर्फ प्यारेलाल

3. माया राम पुत्र पारुमल उर्फ प्यारेलाल

4. मोतीराम पुत्र पारुमल उर्फ प्यारेलाल (फौत)

4/1. तारादेवी पत्नि मोतीराम

4/2. सुनिल कुमार पुत्र मोतीराम

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

- 4/3. मुकेश कुमार पुत्र मोतीराम  
4/4. सीमादेवी पुत्री मोतीराम पत्नि दीपक कुमार  
4/5. भावना पुत्री मोतीराम पत्नि दिलीप कुमार  
4/6. तरुणा पुत्री मोतीराम पत्नि भारत  
4/7. भारती पुत्री मोतीराम पत्नि सन्तोष जाति पुष्कराना ब्राहमण  
निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:----- प्रतिवादी अपीलान्ट

बनाम

- 1 मु० सरस्वती बेवा मुरलीधर जाति पुष्कराना ब्राहमण निवासी  
खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर  
2 ध्रुव कुमार पुत्र मुरलीधर जाति पुष्कराना ब्राहमण  
3 मदनलाल पुत्र मुरलीधर  
4 मेहनलाल पुत्र मुरलीधर  
5 जगदीश पुत्र मुरलीधर  
6 दशरथ पुत्र मुरलीधर  
7 प्रहलाद पुत्र मुरलीधर  
8 भूषण कुमार पुत्र मुरलीधर  
9 गीता देवी पुत्री मुरलीधर धर्मपत्नि कृष्णकुमार  
10 भानूदेवी पुत्री मुरलीधर धर्मपत्नि नरेश कुमार  
जतियान पुष्कराना ब्राहमण साकिन खैरथल तह० किशनगढबास  
जिला अलवर राजस्थान


:---वादीगण रेस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री उप जिलाधीश पदेन  
सहायक कलेक्टर, किशनगढबास दि० 11.3.2004

उपस्थित :-

:-

वकील अपीलान्ट:- श्री हेमराज गुप्ता


  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वकील रेस्पोंड :- श्री निर्मल कुमार जैन

निर्णय

दिनांक 14.10.2019

- 1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उप जिलाधीश पदेन सहायक कलेक्टर, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2003 उनवान मुरलीधर बनाम पारुमल में पारित निर्णय दिनांक 11.3.2004 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0 टी0 एक्ट आराजी खसरा नम्बर 4033 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर डिक्री किया गया था ।
- 2 बहस के दौरान दोनों ही पक्षों के विद्वान वकीलों ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उभयपक्षों में राजीनामा हो गया है और हम सभी पक्षकारान तहत न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं । अपील में हम पक्षकारान अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं । अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जावे ।
- 3 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की प्रार्थना पर गौर किया । चूंकि उभयपक्ष तहत न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं और अपील नोट प्रेस में खारिज कराना चाहते हैं । अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित में हम अपील को नोट प्रेस में खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।
- 4 अतः आदेश है कि उभयपक्ष की सहमति अनुसार अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाकर तहत न्यायालय के अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.3.2004 यथावत रखे जाते हैं ।
- 5 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवरा